www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 131 नागपुर, शुक्रवार, 7 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

..तो जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा भारत

नई दिल्ली

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को भरोसा जताया कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। साथ ही उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि वर्तमान स्थायी सदस्यों की तरह ही नए सदस्यों के पास भी वीटो सहित सभी समान अधिकार होंगे।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुषमा ने कहा कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के पास सभी पात्रताएं हैं और चार स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत का समर्थन किया है। जबकि पांचवे सदस्य चीन ने भी सार्वजनिक रूप से भारत का विरोध नहीं किया है।

सुषमा ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस बार नहीं, तो अगली बार भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। वीटो अधिकार से संबंधित सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा, हम पुराने और नए सदस्यों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं चाहते। हम दो वर्ग नहीं चाहते, कि स्थायी सदस्यों में एक प्रथम श्रेणी के और दूसरे द्वितीय श्रेणी के हों।

यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत वर्तमान स्थायी सदस्यों की तरह ही समान जिम्मेदारियां, विशेषाधिकार और दायित्व चाहता है। उन्होंने बताया कि भारत न सिर्फ सुरक्षा परिषद में विस्तार सुनिश्चित करने, बल्कि उसमें सुधार के कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है।

..जब संसद में सुरक्षा बलों ने अचानक तान दीं अपनी बंदूकें

नई दिल्ली

संसद में उस वक्त गुरुवार को कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। संसद परिसर में गुरुवार की दोपहर अचानक सुरक्षा बलों की बंदूकें तन गईं। सायरन बजने लगे। जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली। इससे परिसर में मौजूद सांसद भी घबरा गए।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक संसद परिसर में यह हड़कंप उस समय मचा जब एक अलार्म बज गया। यह अलार्म गेट से अचानक एक अज्ञात वाहन के टकरा जाने से बजा था। किसी हमले के मद्देनजर बजने वाला अलार्म बज गया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर पोजीशन में नजर आए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि संसद में मौजूद सभी सांसद भी घबरा गए थे।

जानकारी के अनुसार संसद के गेट से अचानक एक अज्ञात वाहन टकरा गया। वाहन के गेट से टकराते ही पूरे परिसर में किसी हमले के मद्देनजर बजने वाला अलार्म बज उठा और सभी लोग सुरक्षित स्थान की जाने लगे। उधर, दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों के लोगों ने भी अपने हथियार तान कर मोर्चा संभाल लिया और किसी हमले की आशंका के चलते पोजिशन में खड़े हो गए। गौरतलब है कि संसद में 2001 में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में आतंकियों ने कार में सवार होकर हथियारों समेत संसद में घुस आए थे और धुंआधार फायरिंग दे दी थी।

ऐतिहासिक टैक्स सुधार सिस्टम वाला जीएसटी बिल राज्यसभा में बिना संशोधन के पास

नई दिल्ली

संसद ने देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था जीएसटी को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में जीएसटी बिल बिना संशोधन के पास हो गया। साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया कि नई टैक्स प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कृषि पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था

राज्यसभा ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी जीएसटी विधेयक), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई जीएसटी विधेयक), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी जीएसटी विधेयक) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 को सम्मिलित चर्चा के बाद लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया। इन विधेयकों पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने खारिज कर दिया।

धन विधेयक होने के कारण इन चारों विधेयकों पर राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था। लोकसभा 29 मार्च को इन विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है।

राज्य एवं केंद्र एक साथ एकत्र करेंगे यह टैक्स

वस्तु एवं सेवा कर संबंधी विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि इन विधेयकों के जरिये कराधान के मामले में संसद के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इसी संसद ने संविधान में संशोधन कर जीएसटी परिषद को टैक्सों की दर की

सिफारिश करने का अधिकार दिया है। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद पहली संघीय निर्णय करने वाली संस्था है। संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी परिषद को मॉडल कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

जहां तक कानून बनाने की बात है तो यह संघीय ढांचे के आधार पर होगा, वहीं संसद और राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता बनी रहेगी। हालांकि इन सिफारिशों पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अलग-अलग राज्य अगर-अलग दर तय करेंगे तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह इसकी सौहार्द्रपूर्ण व्याख्या है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि यह देश का एकमात्र ऐसा टैक्स होगा, जिसे राज्य एवं केन्द्र एक साथ एकत्र करेंगे।

कई खाद्य उत्पाद पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

एक समान टैक्स बनाने की बजाए कई टैक्स दर होने के बारे में आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि कई खाद्य उत्पाद हैं, जिन पर अभी शून्य टैक्स लगता है और जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर एक समान दर से कर नहीं लगाया जा सकता। जैसे तंबाकू, शराब आदि की दरें ऊंची होती हैं जबकि कपड़ों पर सामान्य दर होती है। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद में चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि आरंभ में कई कर लगाना ज्यादा सरल होगा।

0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की गई हैं

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श के बाद जीएसटी व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें तय की हैं। लक्जरी कारों, बोतल बंद वातित पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं एवं कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री पर इसके ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जाएगा और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसमें से राशि दी जाएगी। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

एक राष्ट्र, एक टैक्स होगा लागू !

वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मंजूरी प्राप्त पहला संघीय अनुबंध करार देते हुए जेटली ने कहा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त टैक्स का भार नहीं डालते हुए जीएसटी के माध्यम से देश में एक राष्ट्र, एक टैक्स की प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद टैक्स ढांचे को सर्वसम्मति से तय कर रही है और इस बारे में अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। यह विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और यह ऐसी पहली पहल है। जीएसटी के लागू होने पर केन्द्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित कई अन्य कर इसमें समाहित हो जाएंगे। जेटली ने विधेयकों को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय जीएसटी संबंधी विधेयक के माध्यम से उत्पाद, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में केंद्र को टैक्स लगाने का अधिकार होगा। समन्वित जीएसटी या आईजीएसटी के जरिये वस्तु और सेवाओं की राज्यों में आवाजाही पर केंद्र को टैक्स लगाने का अधिकार होगा ।

अलवर घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई - राहुल

नई दिल्ली

राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों द्वारा कथित रूप से गोवंश के पशुओं को ले जाते हुए व्यक्तियों की पिटाई से घायल एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत की घटना को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की स्तब्ध करने वाली घटना बताया तथा इस क्रूर एवं विवेकहीन हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की मांग की। राहुल ने इस घटना के बारे किये गये विभिन्न ट्वीट में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब सरकार अपना दायित्व त्याग देती है और पीट-पीट कर मार देने वाली भीड़ को शासन करने की अनुमति दे देती है तो इसी तरह की विकट त्रासदियां होती हैं। इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस क्रूर और विवेकहीन हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।राहुल ने कहा कि सभी सही सोचने वाले भारतीयों को इस अंध बर्बरता की भर्त्सना करनी चाहिए। राजस्थान पुलिस के अनुसार चार वाहनों में अवैध रूप से गोवंश को हरियाणा की ओर ले जाने की सूचना मिलने पर बहरोड के निकट वाहनों को रोक कर उसमे सवार दस लोगों को उतार कर हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कथित मारपीट की और गोवंश को मुक्त कर दिया।

बाबरी विध्वंस: आडवाणी, मुरली मनोहर, उमा के खिलाफ याचिका

रोजाना हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमें बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप बहाल करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत इस बारे में भी फैसला करेगी कि वीवीआईपी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई रायबरेली की एक अदालत से लखनउ स्थानान्तरित की जा सकती है या नहीं।

छह दिसंबर 1992 से जुड़े दो मामले

छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने से संबंधित दो तरह के मामले हैं। पहला अज्ञात कारसेवकों से जुड़ा है जिसमें सुनवाई लखनउ की एक अदालत में चल रही है जबकि दूसरी तरह के मामले रायबरेली की एक अदालत में वीवीआईपी से संबंधित हैं।

रायबरेली से लखनऊ की अदालत में भेजा जा सकता है मामला

न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने यह भी संकेत दिये कि वे सुनवाई रायबरेली से लखनऊ की एक अदालत में स्थानान्तरित करके दोनों तरह के मामलों की संयुक्त सुनवाई करने का आदेश दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि चूंकि 25 साल गुजर चुके हैं, न्याय के हित में वह रोजाना समयबद्ध तरीके से सुनवाई का आदेश देने पर विचार करेगी ताकि इसे दो साल के भीतर पूरा करने का प्रयास हो।

पीएम मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में 2266 करोड़ के पुल का किया शिलान्यास

साहिबगंज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुल 2266 करोड़ रुपये की लागत से साहिबगंज में गंगा पर बनने वाले पुल का यहां शिलान्यास किया और कहा कि यह पुल झारखंड को समस्त पूर्वी भारत से जोड़ देगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां एक बड़ी जनसभा में झारखंड के साहिबगंज में 2266 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गंगा पुल का शिलान्यास किया और कहा कि यह पुल महज दो राज्यों को नहीं जोड़ेगा बल्कि यह तो झारखंड के लिए विकास के अनुपम अवसर लेकर आयेगा क्योंकि इसके माध्यम से राज्य पूर्वी भारत के सभी राज्यों से जुड़ जायेगा।

कई अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखायी

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य की एक लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन वितरित करने के कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्य में पुलिस की महिला बटालियन एवं पहाड़िया बटालियन के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करने का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को भी हरी झंडी

दिखायी।

मल्टी मोडल टर्मिनल का भी किया शिलान्यास

उन्होंने गंगा तट पर बनने वाले मल्टी मोडल टर्मिनल का भी शिलान्यास किया, जहां से नदी के रास्ते नौवहन एवं सड़क परिवहन की सुविधाएं मौजूद होंगी।

यह टर्मिनल वाराणसी से हल्दिया तक बनने वाले राष्ट्रीय नौवहन मार्ग संख्या एक के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यहां 22 लाख, 40 हजार टन माल वहन की क्षमता विकसित की जायेगी।

रोजगार की बनेगी व्यापक संभावना

इस पुल के शिलान्यास के बाद क्षेत्र के लोगों में यह आशा जागी है कि इससे यहां व्यापार के साथ साथ रोजगार की भी व्यापाक संभावना बनेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बंदरगाह के माध्यम से झारखंड पूरी दुनिया से जुड़ जायेगा। मोदी ने कहा कि इस परियोजना से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष तौर पर लाभ होगा।

केंद्र सरकार को मिली राज्यों से रिपोर्ट, बेमौसम बारिश से बेअसर है गेहूं की फसल

नई दिल्ली

रबी सीजन के दौरान शानदार मौसम के चलते गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान बरकरार है। हाल के दिनों में कुछ जगहों पर बेमौसम बारिश को लेकर लगाई जा रही आशंकाएं निर्मूल हैं। केंद्रीय कृषि सचिव एस. पटनायक ने जोर देकर कहा कि गेहूं की फसल पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर बारिश हुई वहां गेहूं फसल की कटाई जरूर रोकनी पड़ी है। फसलों के भीग जाने की वजह से उसके सूखने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश के तत्काल बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इन

राज्यों की रिपोर्ट पहुंच गई है, जिनमें किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया गया है। तमाम जगहों पर कटाई हो चुकी है, जहां गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, वहां भीग जाने की वजह से कटाई रोकनी पड़ी है।

हो रही तेज धूप की वजह से वहां जल्दी ही कटाई चालू हो जाएगी। इसमें चार पांच दिन का समय लग सकता है। पिछले दो दिनों में गेहूं उत्पादक उत्तरी राज्यों में कहीं-कहीं छिटपुट बेमौसम बारिश हुई है। सरकारी अनुमान के मुताबिक चालू रबी सीजन में गेहूं की अब तक की सर्वाधिक पैदावार 9.6 करोड़ टन होगी। कृषि मंत्रालय के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक गेहूं की वास्तविक पैदावार का आंकड़ा इसे भी पार कर सकता है।

मेरे साथ अन्याय की जांच हो - रवींद्र गायकवाड़

नई दिल्ली

एयर इंडिया के स्टाफ को चप्पल मारने के आरोप में घिरे शिवसेना सांसद रवीन्द्र गायकवाड़ ने लोकसभा में गुरुवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से एयरलाइंस कर्मचारियों ने बदतमीजी की।

आरोपों को बताया गलत

रवीन्द्र गायकवाड़ ने मारपीट के आरोप को गलत ठहराते हुए कहा कि मैंने सिर्फ स्टाफ को धक्का दिया था। मुझ पर मारपीट का आरोप गलत है, लेकिन कुछ नेता मुझे गुनहगार ठहराने की कोशिश कर रहे है।

मेरी जांच के बिना मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मेरा टिकट बिजनेस क्लास का था, लेकिन मुझे इकोनॉमी क्लास में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने सीट के लिए कोई मारपीट नहीं की और यह आरोप गलत है। मैंने दिल्ली पहुंचकर केबिन क्रू से शिकायत की कॉपी मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मुझसे

अधिकारी ने कहा कि मैं एयर इंडिया का बाप हूं।

स्पाइसजेट ने किया टिकट निरस्त

निजी क्षेत्र की एयरलाइन स्पाइसजेट ने चंद दिन पहले शिवसेना के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ का टिकट निरस्त कर दिया।

एयर इंडिया के एक कर्मचारी की पिछले महीने पिटाई करने के बाद से गायकवाड़ पर कई घरेलू एयरलाइनों ने रोक लगा रखी है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

शिवसेना का अल्टीमेटम, 10 अप्रैल तक हल नहीं निकलने पर एनडीए मीटिंग का बहिष्कार करेगी

शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। एयरलाइन कंपनियों ने गायकवाड़ पर यह रोक उनके द्वारा एयर इंडिया के एक अधिकारी की पिटायी करने के बाद लगायी है। शिवसेना सूत्रों ने यद्यपि कहा कि गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर लगी रोक हटायी जा सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोक के पीछे एक षड्यंत्र है और पार्टी इसे उचित समय पर उजागर करेगी।

केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम

राउत ने कहा, गायकवाड़ के उड़ान भरने पर लगी रोक यदि नहीं हटायी जाती है तो हम 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। राउत ने कहा कि यह पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिला एक निर्देश है। इससे पहले दिन में लोकसभा में तब अप्रत्याशित स्थिति बन गयी जब नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के इस मुद्दे पर जवाब से असंतुष्ट केंद्रीय मंत्री अनंत गीते सहित शिवसेना सांसदों ने उनका घेराव किया।